



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273077
CG-DL-E-02062026-273077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2702]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2795(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

क्रम संख्या	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 37942606 आवश्यक अपेक्षाएँ लैन स्विच
2.	टी ई सी 40182606 आवश्यक अपेक्षाएँ 5 जी कोर

2. आवश्यक अपेक्षाओं के लिए विद्यमान एवं पूर्वोक्त पुनरीक्षित मानक, प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि तक समवर्ती रूप से लागू रहेंगे, जिसके पश्चात केवल पुनरीक्षित मानक ही लागू रहेंगे।

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2795(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

SL. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 37942606 Essential Requirements LAN Switch
2.	TEC 40182606 Essential Requirements 5G Core

2. The existing and the above revised standards for essential requirements shall remain in force concurrently for a period of ninety days from the date of publication, after which, only the revised standards shall be applicable.

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General